कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय : 502, टावर–ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गंगापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013
सर्किल कार्यालय :– 9वीं, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली–110060

परिशिष्ट IV कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को नीचे दिए विवरण के अनुसार मांग सूचना(एं) जारी की थीं, जिनमें उनसे सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार कर्जदारों पर सीजीएचएफएल की बकाया राशि तथा उस पर ब्याज का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/ गारंटर(रों) का नाम	प्रत्याभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का वर्णन	मांग सूचना तिथि और राशि	कब्जा की तिथि
1.	(ऋण खाता सं. 51200001015220 **हमारी मुंजफरनगर शाखा) जमीरुद्दीन** (कर्जदार) **श्रीमती सुजाना परवीन** (राह–कर्जदार)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : भूमि और भवन के एक प्रीमेस की संपत्ति, आवासीय प्लॉट खसरा नंबर 512एमआई (क्षेत्रफल परिमाप 86.66 वर्ग गज यानी 55.739 वर्ग मीटर) गांव शाहबुद्दीनपुर (बाहर हदूद) मिमला रोड कलीम कॉलोनी परगना और तहसील और जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश – 251001 सीमा:– पूरबः श्री हसन अली का प्लॉट, पश्चिमः हसन अली का प्लॉट, उत्तरः दूसरे व्यक्ति का मकान, दक्षिणः 20 फीट चौड़ा रास्ता	08–12–2025 रु. 11,77,415/–	30–03–2026

स्थान : मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) **हस्ता /–(प्राधिकृत अधिकारी)**
तिथि : 03–04–2026 **वास्ते कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल)**

यस बैंक लिमिटेड

YES BANK

पंजीकृत कार्यालय : येस बैंक हाउस, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सांताक्रूज ईस्ट, मुम्बई – 400 055
अन्य पता : 15वां तल, वर्ल्ड ट्रेड टावर, सेक्टर–16, नोएडा–201301

[(नियम 8(1)] कब्जा सूचना

अधोहस्ताक्षरी ने, येस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना जारी की थी, जिनमें यहां नीचे खाते में वर्णित कर्जदार से सूचना में वर्णित बकाया राशि और उस पर ब्याज का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।
कर्जदार और गारंटर पूरी बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार, गारंटरों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्तियों का कब्जा प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को ले लिया है।
कर्जदारों और गारंटरों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को उक्त सम्पत्तियों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और इन सम्पत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार येस बैंक लिमिटेड की यहां नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।
कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

एनपीए खाते का नाम	13(2) सूचना तिथि/एनपीए तिथि	बकाया राशि
(1) मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स, इसके स्वामी के माध्यम से – अखिल गुप्ता, पताः ए–68, भूतल रामेश्वर नगर, आजादपुर, ब्लॉक–ए के पास, दिल्ली–110009 ("कर्जदार"). (2) अखिल गुप्ता, पुत्र राजेश गुप्ता, सी–17, प्रथम तल मॉडल टाउन–3, डॉ. मुखर्जी नगर, उत्तर–पश्चिम, पार्क के पास, दिल्ली–110009, अन्य पता : ए–68, भू तल, रामेश्वर नगर, आजादपुर, ब्लॉक–ए के पास, दिल्ली–110009 ("सह–कर्जदार "). (3) शशि गुप्ता, पत्नी राजेश गुप्ता, सी–17, प्रथम तल मॉडल टाउन–3, डॉ. मुखर्जी नगर, उत्तर–पश्चिम, पार्क के पास, दिल्ली–110009	06–10–2025/29–06–2025 **कब्जा की तिथि** 27–03–2026 **उत्पाद और ऋण संख्या** **एसबीएल ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट (डीओडी) ऋण सुविधा**	रु. 80,84,364.07/– (रुपये अस्सी लाख चौरासी हजार तीन सौ चौंसठ और पैसे सात मात्र) 05–09–2025 तक

बंधक सम्पत्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति संख्या 17 का प्रथम तल,, ब्लॉक सीनॉ, सम्पत्ति जिसे सी–17 के नाम से जाना जाता है, जो 243.86 वर्ग गज भूमि पर निर्मित तथा मॉडल टाउन, गांव मलिकपुरु छावनी, दिल्ली–110009 में स्थित है। साझा प्रवेश, रास्ता, और सीढ़ियों के साथ। परिबद्ध एरियाः पूरबः गार्डन, पश्चिमः रोड, उत्तरः सम्पत्ति संख्या सी–18, दक्षिणः सम्पत्ति संख्या सी–16, श्रीमती शशि गुप्ता द्वारा स्वाधिकृत।

तिथि : 03–04–2026 स्थान : दिल्ली **वास्ते येस बैंक लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी**

फीनिक्स ए आर सी लिमिटेड

Phoenix ARC

(पूर्व में फीनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
पंजी कार्यालयः तीसरी मंजिल वालेस टावर्स (पहले इसे शिव बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था) 139/140/बी/1
सहर रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पार, विले पार्ले (ई), मुंबई – 400 057
(टी): 022–68402460, (फैक्स): 022–67412313
सीआईएनः U67190MH2007PTC168303 ईमेल: info@phoenixarc.co.in, वेबसाईटः www.phoenixarc.co.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित नियम 8(5) के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस
सार्वजनिक रूप से तथा विशेष रूप से नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित उधारकर्ता एवं जमानतदार को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो फीनिक्स ए आर सी लिमिटेड (पूर्व में फीनिक्स ए आर सी प्राइवेट लिमिटेड), (Phoenix Trust – FY 23-10 के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत) (जिसे आगे PARC कहा जाएगा), जो कि सुरक्षित ऋणदाता है, के पक्ष में बंधक / प्रभारित है, जिसका भौतिक कब्जा पी.ए.आर.सी. के अधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 08 अगस्त 2025 को, पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (वर्तमान में गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात) द्वारा दिनांक 20.09.2022 के हस्तांतरण समझौते के माध्यम से ऋण के उसके पक्ष में हस्तांतरण के पश्चात, ग्रहण कर लिया गया है, उक्त संपत्ति का विक्रय कंपनी के बकाया की वसूली हेतु "जहाँ है जैसा है", "जो है जैसा है" तथा "जैसा भी है" के आधार पर किया जाएगा।
अचल संपत्ति का विवरण (यदि कोई ज्ञात भार हो तो उसका उल्लेख करें): गिरवी रखी गई संपत्ति का वह संपूर्ण भाग और टुकड़ा, जिसका प्लॉट नंबर 26/3 खसरा नंबर 366/1, क्षेत्रफल – 109.62 वर्ग मीटर, ब्रज बिहार कॉलोनी, मौजा उखर्रा, तहसील एवं जिला आगरा जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है: – गिरवी रखी गई संपत्ति का वह संपूर्ण भाग और टुकड़ा, जिसका प्लॉट नंबर 26/3 खसरा नंबर 366/1, क्षेत्रफल – 109.62 वर्ग मी. ब्रज बिहार कॉलोनी, मौजा उखर्रा, तहसील एवं जिला आगरा सीमाः पूर्व – 20 फुट चौड़ा रास्ता, पश्चिम – अन्य संपत्ति, उत्तर – अन्य संपत्ति, दक्षिण – अन्य संपत्ति

कर्जदारों/गारंटरों का नाम और पता	1. ई–नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. आरक्षित मूल्य, 2. सम्पत्ति का ईएमडी 3. वृद्धि राशि
1. सुभाष नई अबादी छोटा उखर्रा राजपुर चुंगी, 282001 और: सुभाष, प्लॉट नंबर 26/3 खसरा नंबर–366/1 ब्रज बिहार कॉलोनी, मौजा उखर्रा तहसील और जिला आगरा आगरा पिन 282001 **3. सरिता सुभाष, नई अबादी छोटा उखर्रा राजपुर चुंगी, 282001** **ऋण खाता संख्या: HF0094H20100038** **कुल बकायाः रु. 15,60,500.65 (रु. पंद्रह लाख साठ हजार पांच सौ और पैसे पैंसठ मात्र) 22.07.2022 तक देय और भुगतान योग्य और भावी ब्याज**	**1) ई–नीलामी तिथिः 12 मई 2026** **दोपहर 12:00 बजे से 01:00 बजे के बीच और 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ** **2) केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 11 मई, 2026 को शाम 7:00 बजे (आईएसटी)** **3) निरीक्षण की तिथिः 20 अप्रैल, 2026 सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच (आईएसटी)**	**आरक्षित मूल्यः रु. 19,88,300/– (रु. उन्नीस लाख अठासी हजार तीन सौ मात्र)** **ईएमडीः रु. 1,96,830/– (रु. एक लाख अट्ठानवे हजार आठ सौ तीस मात्र)** **बोली वृद्धि – रु. 10,000/– (रु. दस हजार रुपये मात्र) और इसके के गुणकों में**

बयाना राशि Phoenix Trust-FY23-10 के पक्ष में, मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाएगी अथवा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से चालू खाता संख्या 0446262338, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, शाखा: कालिना, मुंबई, आईएफएससी कोडः KKBK0000631 में जमा की जानी होगी।
उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्ति के विमोचन हेतु उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। जब सामान्य तथा विशेष रूप से उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी कारणवश यहाँ निर्धारित नीलामी संपन्न नहीं होती है, तो सुरक्षित ऋणदाता निजी संधि के माध्यम से बिक्री कर अपने सुरक्षा हित का प्रवर्तन कर सकता है।
बिक्री के लिए उपलब्ध संपत्तियों के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण या आवश्यकता के लिए, बोलीदाता श्री राहुल आर (+91 9567626050) और सुश्री लक्ष्मी सिंह (+91 8655653343) से संपर्क कर सकते हैं।
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया Phoenix ARC Limited की वेबसाइट www.phoenixarc.co.in पर दिए गए लिंक https://Phoenixarc.Co.In?P=7022 (यूआरएल लिंक) और/या **Https://Bankeauctions.Com** पर देखें।

स्थानः आगरा **हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी,**
तिथिः 03.04.2026 **फीनिक्स एआरसी लिमिटेड, (पूर्व में फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (वित्त वर्ष 23–10 में फीनिक्स ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)**

टाटा कैपिटल लिमिटेड

TATA

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013

मांग सूचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13 (2) के तहत।

यह सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल लिमिटेड (टीसीएल) एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है और जिसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टावर ए, 11वीं मंजिल, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013 में स्थित है तथा अन्य स्थानों के साथ–साथ नई दिल्ली में एक शाखा कार्यालय ("शाखा") भी है। कि दिनांक 24.11.2023 के आदेशों के माध्यम से, राष्ट्रीय कंपनी विधिक न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मुंबई ने टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ("टीसीएफएसएल") और टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड ("टीसीसीएल") को हस्तांतरणकर्ता और टाटा कैपिटल लिमिटेड ("टीसीएल") को हस्तांतरिती के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के साथ धारा 66 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत व्यवस्था योजना ("उक्त योजना") को विधिवत स्वीकृत कर दिया है। इसके अनुसार, "टीसीएफएसएल और टीसीएल (हस्तांतरणकर्ता कंपनियां) अपने उपक्रम सहित, सभी संपत्तियों, परिसंपत्तियों, अधिकारों, लाभों, हितों, कर्तव्यों, दायित्वों, देनदारियों, अनुबंधों, समझौतों, प्रतिभूतियों आदि सहित, एक चलायमान व्यवसाय के रूप में टीसीएल में 01.01.2024 से विलय हो गई हैं। उक्त आदेश और योजना के अनुसरण में, टीसीएफएसएल द्वारा निष्पादित सभी सुविधा दस्तावेज और उनसे संबंधित सभी बकाया राशि आवेदक कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई है और इस प्रकार टीसीएल इसके अनुसार (ऋणकर्ताओं/सह–ऋणकर्ताओं) से इन्हें प्राप्त करने की हकदार है।
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित देनदारों/कानूनी प्रतिनिधियों/कानूनी वारिसों (ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ताओं) ने टाटा कैपिटल लिमिटेड (टीसीएल) से प्राप्त मूलधन, ब्याज और अन्य शुल्कों के पुनर्भुगतान में चूक की है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, टीसीएल द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण नीचे उल्लिखित ऋण खातों को गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुपालन में, टीसीएल ने अपने अधिकृत अधिकारी के माध्यम से अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित वैधानिक मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उधारकर्ताओं से उक्त बकाया राशि, भविष्य के ब्याज और लागत सहित, नोटिस जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है। ऐसा न करने पर, टीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत वर्णित सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगी, जिसमें उधारकर्ताओं द्वारा टीसीएल के पक्ष में नीचे वर्णित संपत्तियों पर बनाए गए सुरक्षा हित का प्रवर्तन भी शामिल है :

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	देनदार(रों) / कानूनी उत्तराधिकारी(रियों) / कानूनी प्रतिनिधि(रों) के नाम	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि/ मांग सूचना की तिथि
1.	TCFLA035 900001105 7373	**1. मैसर्स सुपर वाइन शॉप, अपने पार्टनर के माध्यम से,** 270। QU। ब्लॉक, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली–110034। साथ ही: यूनिट नं. ए–1606, 16वीं मंजिल, लेकशोर ग्रीन्स, प्रोजेक्ट नं. 11, ए विंग, कासा सिएलो, लेकशोर ग्रीन्स, तालोजा बाईपास रोड, डोमविली, ठाणे –421203। **2. श्री इंदरजीत भाटिया पुत्र श्री कुंदन लाल भाटिया,** 270ए क्यू ब्लॉक, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली–110034, मोबाइल : 9871517777, पता यहां पर भी : यूनिट नंबर ए–1606, 16वीं मंजिल, लेकशोर ग्रीन्स, प्रोजेक्ट नंबर 11, ए विंग, कासा सिएलो, लेकशोर ग्रीन्स, तालोजा बाईपास रोड, डोमविली, ठाणे–421203, **3. श्रीमती चुनीता भाटिया पत्नी श्री इंदरजीत भाटिया,** 270ए क्यू ब्लॉक, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली–110034, अन्य पता यहां भी : यूनिट नंबर ए–1606, 16वीं मंजिल, लेकशोर ग्रीन्स, प्रोजेक्ट नंबर 11, ए विंग, कासा सिएलो, लेकशोर ग्रीन्स, तालोजा बाईपास रोड, डोमविली, ठाणे–421203, **3. श्री राजन भाटिया पुत्र इंदरजीत भाटिया,** 270ए क्यू, ब्लॉक, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली–110034, पता यहां पर भी : यूनिट नंबर ए–1606, 16वीं मंजिल, लेकशोर ग्रीन्स, प्रोजेक्ट नंबर 11, ए विंग, कासा सिएलो, लेकशोर ग्रीन्स, तालोजा बाईपास रोड, डोमविली, ठाणे–421203, **4. श्री वदंत भाटिया पुत्र श्री इंदरजीत भाटिया,** 270ए क्यू, ब्लॉक, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली–110034, अन्य पता यहां भी : यूनिट संख्या ए–1606, 16वीं मंजिल, लेकशोर ग्रीन्स, प्रोजेक्ट संख्या 11, कासा सिएलो बिल्डिंग, लेकशोर ग्रीन्स, तालोजा बाईपास रोड, डोम्बीवली, ठाणे–421203	रु. 39,44,004/– तथा 23.01.2026 **एनपीए तिथि** 01–01–2026

प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरण : यूनिट संख्या ए–1606, विंग–ए, 16वीं मंजिल पर, क्षेत्रफल 738 वर्ग फुट (शुद्ध क्षेत्रफल), साथ ही एक कार पार्किंग स्थान, लेकशोर ग्रीन्स नामक प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट संख्या 11, कासा सिएलो बिल्डिंग में, डोम्बीवली (पूर्व), ठाणे –421201 में स्थित है।

2.	7522689	**1. सतविंदर सिंह चावला,** मकान नंबर 91, पॉकेट–सी–9, सेक्टर–8, रोहिणी, नई दिल्ली–110085, मोबाइल : 9891111999, **2. हरविंदर सिंह चावला,** मकान नंबर 91, पॉकेट–सी–9, सेक्टर–8, रोहिणी, नई दिल्ली–110085, **3. स्वर्गीय जसवंत कौर चावला** के कानूनी वारिस, मकान नंबर 91, पॉकेट–सी–9, सेक्टर–8, रोहिणी, नई दिल्ली–110085, **4. मैसर्स सीएमएस ट्रेडिंग,** दुकान नंबर 2, भूतल, विम्पी मोबाइल प्लाजा, करोल बाग, नई दिल्ली–110005	रु. 2,65,70,799/– और 09.02.2026 **एनपीए तिथि** 07–02–2026

प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरण : मकान संख्या 91, पॉकेट–सी–9, सेक्टर–8, रोहिणी, नई दिल्ली–110085, जिसका विस्तृत विवरण दिनांक 05.07.2017 को सतविंदर सिंह चावला और जसवंत कौर चावला के पक्ष में किए गए त्यागपत्र में दिया गया है।

उपरोक्त मांग नोटिसों की प्रभावी तामील सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, हम एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उक्त नोटिसों की तामील कर रहे हैं। उपरोक्त उधारकर्ताओं को अधिनियम की धारा 13(2) के तहत इस नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर उपरोक्त देनदारियों का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा टीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगी। विशेष रूप से, उधारकर्ताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, वे उपर्युक्त गिरवी संपत्तियों को बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेंगे।

दिनाँक : 30–03–2026, स्थान : दिल्ली **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, कृते टाटा कैपिटल लिमिटेड**

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

SMFG Grihashakti
Nayi Asha. Naya Vishwas.

कॉर्पोरेट कार्यालयः 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी–ब्लॉक, इंस्पिरा बीकोरो, बीकोरो मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई– 400051.
पंजीकृत कार्यालयः कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनामल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई – 600116, टीएन

अचल संपत्ति के लिए कब्जे की सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) जो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है राष्ट्रीय आवास बैंक (आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व में) के साथ विधिवत पंजीकृत है, (इसके बाद "एसएमएचएफसी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित दिनांक को डिमांड नोटिस जारी किया है जिसमें आप उधारकर्ता(ओं (नीचे उल्लिखित नाम) से उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है। नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति से कोई लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन "एसएमएचएफसी" के प्रभार के अधीन होगा, जो कि नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के रूप में होगा।

क्रं सं.	उधारकर्ता(ओं)/जारंटर (ओं) के नाम हैल	बुलंदित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	कब्जे की तिथि
1	**लोन–** **60643921739542** 1. अरविन्द कुमार 2. शर्मिला तेजपाल सिंह	मकान संख्या 06, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, खसरा संख्या 232, केशव नगर, पूर्वी जवाहर नगर, गांव बेहटा हाजीपुर प्रगना, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश – 201102। सीमाएँ: पूर्वः अन्य संपत्ति, पश्चिमः 14 फुट चौड़ी सड़क, उत्तरः रमेश का मकान, दक्षिणः राजा का मकान।	22.03.202 रु. 27,26,549.94/– (सत्ताईस लाख छब्बीस हजार पाँच सौ उनचास और चौरानबें पैसे मात्र) दिनांक 11.03.2025 को	01.04.2026

स्थान : गाजियाबाद उत्तर प्रदेश **हस्ता/–**
दिनांकः 01.04.2026 **प्राधिकृत अधिकारी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड**

एमपीडीएल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 11/7, मथुरा रोड, सेक्टर 37, फरीदाबाद, हरियाणा 121003
कॉर्पोरेट कार्यालयः यूनिट नं. 12, भूतल , मैग्नम टावर–1, सेक्टर–58, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन गुरुग्राम–122011, हरियाणा ,
फोनः 0124–4222434–35, ईमेलः isc_mpdl@mpdl.co.in, वेबसाइटः www.mpdl.co.in, सीआईएनः L70102HR2002PLC097001

सदस्यों के लिए डाक मतपत्र सूचना

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013, संशोधित (जिसे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 108, 110 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक–ष्ष् के अनुसार, तथा भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021 और 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, 3/2022 दिनांक 5 मई, 2022, 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022, 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023, 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 और 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 तथा अन्य संबंधित परिपत्रों ("एमसीए परिपत्र") के संदर्भ में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट) से सदस्यों की सहमति प्राप्त करने हेतु डाक मतपत्र सूचना उन शेयरधारकों को , जिनके नाम 27 मार्च 2026, शुक्रवार को निर्धारित कट–ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है के सदस्यों को (केवल ई–वोटिंग के माध्यम से) ईमेल द्वारा निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में एक पत्र भेजा गया है:

- **कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के उद्देश्य खंड में संशोधन।**

सदस्यों को भेजे गए डाक मतपत्र नोटिस में ई–मतदान से संबंधित विस्तृत निर्देश और जानकारी दी गई है। कंपनी ने गुरुवार, 2 अप्रैल, 2026 को डाक मतपत्र नोटिस का प्रेषण पूरा कर लिया है।
दूरस्थ ई–मतदान के माध्यम से डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी:
ई–मतदान प्रारंभः शुक्रवार, 3 अप्रैल, 2026 (सुबह 9.00 बजे भारतीय समय)
ई–मतदान समाप्तिः शनिवार, 2 मई, 2026 (शाम 5.00 बजे भारतीय समय)
शनिवार, 2 मई, 2026 को शाम 5.00 बजे के बाद दूरस्थ ई–मतदान की अनुमति नहीं होगी और इसके बाद ई–मतदान मॉड्यूल निष्क्रिय हो जाएगा। कंपनी ने शेयरधारकों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के तहत **www.evoting.nsdl.com** के माध्यम से ई–वोटिंग सुविधा द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") के साथ दूरस्थ ई–वोटिंग की सुविधा हेतु आवश्यक व्यवस्था की है। कंपनी ने डाक मतपत्र/ई–वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए मेसर्स संजय ग्रोवर एंड एसोसिएट्स (सीपी नंबर 22944) के पार्टनर श्री कपिल देव तनेजा को नियुक्त किया है, और उनकी अनुपस्थिति में मेसर्स संजय ग्रोवर एंड एसोसिएट्स (सीपी नंबर 22684) प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (पंजीकरण संख्या **P2001DE052900**) के पार्टनर श्री सुजीत कुमार को नियुक्त किया गया है। डाक मतपत्र द्वारा मतदान का परिणाम कंपनी के शेयरों के सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज को मंगलवार, 5 मई, 2026 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा और कंपनी की वेबसाइट **www.mpdl.co.in** और एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी प्रकाशित किया जाएगा।
एमसीए के परिपत्रों की आवश्यकता के अनुपालन में, इस डाक मतदान के लिए शेयरधारकों को डाक मतदान सूचना की हार्ड कॉपी, डाक मतदान प्रपत्र और पूर्व–भुगतानित व्यावसायिक उत्तर लिफाफा नहीं भेजा गया है और शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे केवल दूरस्थ ई–मतदान प्रणाली के माध्यम से अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करें।
जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में शुक्रवार, 27 मार्च, 2026 (कट–ऑफ तिथि) को दर्ज है, वह दूरस्थ ई–